**भारत सरकार**

**श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1041**

**बुधवार, 29 जुलाई, 2015/ 7 श्रावण, 1937 (शक)**

**विभिन्न उद्योगों में बाल श्रम**

**1041. श्रीमती रजनी पाटिल:**

**श्री किरनमय नन्दा:**

**श्री के.सी. त्यागी:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में बाल श्रम बढ़ रहा है; और

(ख) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों में विभिन्न उद्योगों और प्रतिष्ठानों में बच्चों के नियोजन

पर रोक लगाने के लिए श्रम कानूनों का कड़ाई से क्रियान्वयन करने हेतु कदम उठा रही है?

**उत्तर**

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री बंडारू दत्तात्रेय)**

(क): देश में 5-14 आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों की कुल संख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1.26 करोड़ से ‎गिरकर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 43.53 लाख रह गई है।

(ख): बाल श्रम (प्र‎तिषेध एवं ‎विनियमन) अ‎धिनियम, 1986 में क‎तिपय व्यवसायों एवं प्र‎क्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का ‎नियोजन प्र‎तिषिद्ध है। केन्द्रीय सरकार के प्र‎तिष्ठानों, रेलवे, प्रमुख पत्तनों, खानों अथवा तेल क्षेत्रों के संबंध में केन्द्र सरकार अ‎धिनियम के प्रवर्तन के ‎लिए समु‎चित सरकार है एवं अन्य सभी मामलों में राज्य सरकार अ‎धिनियम के ‎क्रियान्वयन हेतु समु‎चित सरकार है। समु‎चित सरकार अ‎धिनियम के उपबंधों का अनुपालन सु‎निश्चित करने के उद्देश्य से ‎निरीक्षकों की ‎नियु‎क्ति कर सकती है। बाल श्रम (प्र‎तिषेध एवं ‎विनियमन) अ‎धिनियम, 1986 में संशोधन के ‎लिए एक ‎विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत ‎किया गया है ‎जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अ‎धिनियम के अंतर्गत सजा और अ‎धिक कठोर करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही संशोधन ‎विधेयक समु‎चित सरकार को ‎जिला म‎जिस्ट्रेट को ऐसी श‎क्तियां प्रदान करने संबंधी अ‎धिकार प्रदान करती है और ऐसे दा‎यित्वों का अ‎धिरोपण करती है ‎जिससे इस अ‎धि‎नियम के उपबंधों को बेहतर तरीके से ‎क्रिया‎न्वित ‎किया जा सके और ‎जिला म‎जिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ ‎किसी अ‎धिकारी को, जो सभी अथवा ‎किन्हीं श‎क्तियों का उपयोग सभी अथवा ऐसे दा‎यित्वों का ‎निर्वहन करने के ‎लिए करे, ‎विनिर्दिष्ट कर सकते हैं।

\*\*\*\*\*